पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –120/18

अनवान : –

बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. नानकोर पत्नी माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा–फौत ।
3. सावित्री पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
4. रामी पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
5. राजो पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
6. फुली पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
7. चांदकौरी पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
8. बन्तों पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
9. सन्तो पत्नी निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
10. रोशनी पुत्री निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
11. सरोज पुत्री निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
13. उपपंजीयक छानीबड़ी/भादरा त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ्ा शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 50/51 के मु0न0 46 के किला न0 6, 15/1, मु0न0 47 के किला न0 1, 2, 3/2, 4, 8 ता 11की कुल 1.765है नहरी बारानी मय रास्ता में नानकौर पत्नी माडूराम, रामी, राजो, फुली, चॉदकौरी, बन्तों पुत्रीयां माडूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह, सन्तों पत्नी निहालसिंह, रोशनी, सरोज पुत्रीयां निहालसिंह संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं0 1 पप्पूराम पुत्र माडूराम 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 सावित्री पुत्री माडूराम 1/8 हिस्सा के खातेदार व इसी प्रकार रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 45/64 के मु0 न0 50 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 51 के किला न0 10, 11 की कुल 1.240है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी में नानकौर पत्नी माडूराम का कलमजन किया जाकर वादी बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह, सन्तों पत्नी निहालसिंह, रोशनी, सरोज पुत्रीयां निहालसिंह संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं0 1 पप्पूराम पुत्र माडूराम 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 सावित्री

पुत्री माडूराम 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –120/18

अनवान : –

बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह जाति धाणक निवारी मलखेड़ा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. नानकोर पत्नी माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा–फौत।
3. सावित्री पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
4. रामी पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
5. राजो पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
6. फुली पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
7. चांदकौरी पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
8. बन्तो पुत्री माडूराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
9. सन्तो पत्नी निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
10. रोशनी पुत्री निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
11. सरोज पुत्री निहालसिंह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
13. उपपंजीयक छानीबड़ी/भादरा त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी अधिवक्ता
श्री श्रवण सहारण प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 30/5/22

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 50/51 के मु0न0 46 के किला न0 6, 15/1, मु0न0 47 के किला न0 1, 2, 3/2, 4, 8 ता 11की कुल 1.765है नहरी बारानी मय रास्ता व इसी प्रकार चक 1 एसडीआर के खाता सं0 45/64 के मु0 न0 50 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 51 के किला न0 10, 11 की कुल 1.240है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी वादी के दादा माडूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

वादी के दादा माडूराम के देहान्त के बाद उक्त दोनों खातों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं0 9 ता 11 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 ता 8 को संयुक्त

रूप से 8/9 हिस्सा के रूप में विरासतन प्राप्त हो गई। उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण सं0 4 ता 8 ने वादी के दादा के देहान्त के बाद अपना आधा हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 9 ता 11 व आधा हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में जरिये दस्तबदारी तर्क कर दिया था। लेकिन चक 18 एएमएस की वाद भूमि में नामान्तरण जरिये दस्तबदारी ना कर जरिये विरासतन दर्ज कर दिया। इस प्रकार माडूराम की पुत्रीयों द्वारा हक हिस्सा तर्क करने पर भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि उनके नाम चली आ रही है जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 8 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा। प्रतिवादी सं0 2 नानकौर की मृत्यु दौराने दावा हो चूकी थी जिसके जायज वारिसान पहले से ही उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिससे प्रतिवादी सं0 2 का नाम वाद से डीलीट किया गया। प्रतिवादी स0 9 ता 13 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 एसडीआर प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 18 एएमएस प्रदर्श 2 मुत्यु प्रमाण पत्र नानकौर प्रदर्श 3 दस्तबदारी प्रदर्श 4 व ग्राम पंचायत तस्दीक प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 50/51 के मु0न0 46 के किला न0 6, 15/1, मु0न0 47 के किला न0 1, 2, 3/2, 4, 8 ता 11की कुल 1.765है नहरी बारानी मय रास्ता व इसी प्रकार चक 1 एसडीआर के खाता सं0 45/64 के मु0 न0 50 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 51 के किला न0 10, 11 की कुल 1.240है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी वादी के दादा माडूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिसमें वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 9 ता 11 तथा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 50/51 के मु0न0 46 के किला न0 6, 15/1,

मु0न0 47 के किला न0 1, 2, 3/2, 4, 8 ता 11 की कुल 1.765है नहरी बारानी मय रास्ता में नानकौर पत्नी माडूराम, रामी, राजो, फुली, चॉदकौरी, बन्तों पुत्रीयां माडूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह, सन्तों पत्नी निहालसिंह, रोशनी, सरोज पुत्रीयां निहालसिंह संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं0 1 पप्पूराम पुत्र माडूराम 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 सावित्री पुत्री माडूराम 1/8 हिस्सा के खातेदार व इसी प्रकार रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 45/64 के मु0 न0 50 के किला न0 5, 6, 15 मु0न0 51 के किला न0 10, 11 की कुल 1.240है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी में नानकौर पत्नी माडूराम का कलमजन किया जाकर वादी बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिंह, सन्तों पत्नी निहालसिंह, रोशनी, सरोज पुत्रीयां निहालसिंह संयुक्त रूप से 7/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं0 1 पप्पूराम पुत्र माडूराम 7/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 सावित्री पुत्री माडूराम 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़